

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख
अहकाम जो इस
हुक्म की तारीख में
जारी हुए।

21.04.2021 पत्रावली पेश हुई। आधिकारिता उभयपक्ष अस्पष्ट। अर्थात् संख्या - 3 व 5 को जवाब पेश करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान करने के बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं हुए। पर जवाब अर्थात् संख्या - 3 व 5 का फंड दिया जाता है। अतः अंतिम आधिकारिता उभयपक्ष स्वी गई। आधिकारिता अर्थात् न अर्थात् बरह में विवेक दिया कि सरदार प्रो. सांघौ के खेत खसरा संख्या - 615 रकबा 0.88 बीघे में अर्थात् 0.1733 हेक्टेयर (1733/3800) हिसाब से खरीद सुदा कुल सुदा राजस्व रेकॉर्ड में दर्ज सुदा अर्थात् सुदा है, जो पर अर्थात् का खरीद के बाद लगान सुदा का सुदा है अर्थात् न उक्त आराज सं 2012 में खरीद की थी। उक्त आराज में अर्थात् संख्या - अर्थात् 2 की संयुक्त खरीद है तथा उक्त आराज सांघौ में बरह में अर्थात् जाने वाली मुख्य जमीन पर मौजूद है तथा अर्थात् जमीन के भाग का भी बड़े हुए हैं। उक्त आराज का राजस्व रेकॉर्ड में अर्थात् तक बंधाव नहीं हुआ है अर्थात् न अर्थात् को लक्ष्मी बंधाव दिने जाने हेतु कर्षण कर तथा अर्थात् अर्थात् अर्थात् बंधाव करने के सम्बन्ध में करते हैं।

सहायक जज, सांघौर
(उपखण्ड अधिकारी, सांघौर)
P. 110,

तथा सहमति के बिना कहे हुए सहमत
 नहीं थे रहे हैं। - चूंकि जमा आयिका
 गाँव बालपुरा एता है ग्राम पर कम-कमी
 आता - जाता है। अभी जमानों के आता
 बहे हुए है वन का लो अजायगी के
 मग में खोटे पैदा थे गार्ड है तथा
 जमीन की मुख्य लक्ष्य के पिछे की
 तरफ स्थितता चालते हैं तथा मुख्य
 लक्ष्य पर कौंधीपती जमीन अजायगी
 रखना चालते हैं तथा इहाँ जित ७ अजायगी
 बिना (बी.डी.डी) के तथा बिना विधि सहमत
 खेता हलाक अजायगी मुख्य लक्ष्य पर
 अजायगी सं-३ के सिमावर का कापे नाम
 के पट्टा विच्छेद (बी.डी.डी) लेना चालते हैं
 जबकि उक्त आराजी का अन्य लक्ष्य विधि
 का खेताजी नहीं हुआ है तथा बिना
 खेताजी विधि अजायगी सं-३ को भी कापे
 अजायगी को लीज डीउ जारि कहे का कोई
 वैधानिक अधिकार नहीं है ऐसे दूर में
 अजायगी सं-३ को वैधानिक खेताजी विधि
 को अन्य अजायगी को लीज डीउ जारि
 विधि जान के रोका जाय - वापसगत
 उक्त आराजी राजव रेकर्ड में तयुक्त
 रूप में दर्ज है जिसका खेताजी लक्ष्य पर
 लक्ष्य के दूर (अजायगी) लक्ष्य में विधि
 जमाना - वापसगत है छोड़ने अजायगी के

सहायक जज, सांचौर
 उप-जज अधिकारी, सांचौर


मुद्रा संख्या : 15/2024

तारीख हुक्म

हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज

नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।

नहीं कर वैशकीमती भूमि सारे पट्टे पर लेबर जमीन को पिसे चकित करने हैं जो विप्रे डिस्ट है जबकि विप्रे अनुगत समानुपात रूप से बेटवाक विप्रे जमीन - मायलंगत है - धूमि वास्तुत आरामा में जमीन का 1933/3800 हिस्सा खरीदसुदा कलजा कातपुडा केने के उपम हुरि में केत जमीन के पक्ष में है तथा धुक्पा का विप्रेण भी जमीन के पक्ष में ही है लेकिन अजमागण विप्रेडिलेड तौर से जमीन की विना लीयरी के विना बेटवाक अणुपे धूमि आवकिये संपाकित कलका मुक्त बज्ज प् जमीन संख्या - 3 के कपलिय के लीन डीउ लो प् तुले हुए है अंके अंड हेला का विप्रे ले जमीन को अजुलिये धान धुक् मिथ कंको में को कलप नहीं ले पायेगा तथा जमीन को विप्रेण जमा के मुद्रागत में उलझा पड़ेगा ऐसी सुरत में अजमागण को ऐला कलप कले के रोक्क जमा - मायलंगत में आवक्ये के आः विवेक है कि अजमागण के इत आधप की अल्यरी विप्रेण के पावस कलपो कि तरह जोज संघो के


 सहायक कलेक्टर, सांचौर
 (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर) P.P. 2


खेत ख. सं. 615 रकबा 0.38 हेक्टेयर
में आज ही के बैचा, रहन या अन्य
काम के अलावा नहीं बरे तथा वाद
के अलावा तक राजस्व रेबड व अन्य
की यथासंभव कोष रखें।

आवेकता अत्रार्थन ने अगली बरस में
गिरेडा मिना कि वादयत आराजी हवि
भूमि के आवासीय निपारित उपभोग
के लिये है। वादयत गुरु आराजी
खेत संख्या 615 रकबा 0.38 हेक्टेयर
भूमि अर्थात् अमरापु के कल्याण
खरीडसुडा, खरीडसुडा माछिमाना की काल
हुकूम है जिसे जमी का कोठे हक
हकूम कल्याण नहीं है एव तपूज
भूमि पर अर्थात् अमरापु का कल्याण
अभोग - उपभोग - जमा आरथ है। वादयत
आराजी के अंतर्गत पम्पी सिपेर
के अंतर्गत की धार दीवरी बना हुकूम
है एव गेट लगा हुकूम है तथा कल्याण
रहवाली पर अर्थात् का बना हुकूम है
तथा अका क शौचालय भी गिरेडा है जो
निपारितसुडा भूमि है जिसे जमी का
काम कल्याण नहीं है। अर्थात् अर्थात् के
लिफ्ट आरड कोष पनेअर रख है तपूज
भूमि पर अर्थात् अमरापु का कल्याण

सहायक कलेक्टर, सांचीर
(उपजुड अधिकारी, सांचीर)

मुद्रण संख्या: 15/2021

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही अज इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तारीख में जारी हुए।
	<p>हैं तथा अमलदार ने हरदाम को जमीन का बँचान नहीं की थी न ही मॉरे पर कलने का हस्ताक्षर करवाया था जब मॉरे पर कलना की हरदाम ने जप्त नहीं किया था तथा न ही अमलदार ने हरदाम को लप पाउर पैसा जतिफर जप्त किया, क्योंकि वे कपटपूर्ण रूप से बँचान की अपील की थी थी है जो कलने की हस्तियों के पक्ष में है, क्योंकि मैं रखना कलने कि काम में धंका कोरे सेना कलने बँचानामा कलने दिना, जबकि अमलदार ने कलने जतिफर को मॉरे बँचान नहीं की है न ही कलने दिना न ही जतिफर की शर्त जप्त की इस जका जमीन आयालय में कलने हैं जमीन का है। इस जका बँचान हरदाम अमलदार व धूम जमीन की जतिफर कापमव कलने के विवेक - परमाध्य में की अपील इस जका अमलदार व धूम जमीन अमलदार के जमीन को मॉरे से हलक हाबिस नहीं है जमीन का जतिफर - पर खोजने योग्य व कलने विवेक है कि जमीन का जतिफर - पर आयालय मॉरे से जप्त किया कलने पर आयालय मॉरे से जतिफर व क्षेत्राधिकार का कलने को ले अमलदार कलने</p>	



 सहायक कलेक्टर, सांचीर
 (उपखण्ड अधिकारी, सांचीर)

तय्युज्जी मुहि का माहिराना हव हयुय व
 क रजा इपके - इवुडा जातेगा होने के
 माहिराना हव इ डि लिह डि डि प्रका की
 अस्थानि वि विव्यमा फे प्रजाप न के को री
 खानि क (मोने)

अतः उभयपक्षकारण की विरुद्ध प्रमाण
 विद्या पत्रावली में उपस्थित सिद्धांत
 का माली-मौते अवलोकन व अकरो का डिमा
 गत अतः उभय पक्षों में प्रामाण्य सुनिश्चर
 का संतुला जाया वे पक्ष में उचित
 होने के प्रमाण का उद्घाटन-पत्रा स्वीकारायेप
 होने के स्वीकारा जाया जाता है।

अतः जाया वे पक्ष में तथा अजाया
 तय्या - 1 व 2 इ डि लिह मुह वाड के
 विस्तार तड इह आशय की जारी की जाती
 हैं कि व्यक्त आ रागी गृह निचो के अतः
 खानि विव्य 615 रुका 0.38 हेक्टेयर
 में डि डि प्रका का तथा विविध कार्य
 नये करें। तय्युज्जी मुहि में तथा विविध
 विव्य काय है

पत्रावली के हव मुमा केका
 तय्युज्जी से हव वम की जाका दाखिल
 रफा ये।


 सहायक कलेक्टर, सांचौर
 (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)